तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **इन्साफ अली खान बनाम लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, ग्रामीण)** सू.अ.अपील संख्या 8/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म-की तामील में जारी हुए
26/03/2024	अपीलार्थी सीमा पत्नी इन्साफ अली खान निवासी सिन्धीपुरा, तहसील पीपाड शहर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17/10/23 में दिनांक 21.6.23 को ग्राम जालुपूरा ग्राम पंचायत सिन्धीपुरा उचित मूल्य दुकान हेतु अभ्यार्थियों के चयन हेतु अपनाई गई चयन प्रकिया व इसके संबंध संबंध में जारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, ग्रामीण) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर) से जरिये पत्रांक 592 दिनांक 21.02.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का आदिनांक तक प्रतिलिपि शुल्क जमा नही करवाया गया है। इस संबंध में प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक 548 दिनांक 19.11.2023 द्वारा सूचित [illegible] चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही [illegible] प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने की सूचना लोक [illegible] प्रार्थी को अवगत [illegible] दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय [illegible]तर पर कोई कार्यवाही [illegible]क्षित नही होने से एवं प्रार्थी को सूचना प्राप्त करने की गंभीरता की स्थिति में शुल्क जमा करते हुए सूचना उपलब्ध कराने का आदेश देते हुए अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:49 IST
Reason: SelfAttested